कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री कल्लु व अन्य
कस्म मुकदमा धारा– 128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार
प्रकरण संख्या 60/2024

कार्यवाही विवरण

03–12–2024

–::निर्णय::–

उपस्थितः– श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता – प्रार्थी
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर

प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा बरोडा पटवार हल्का बरोडा तहसील सलूम्बर मे प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 51 आराजी नम्बर 511 रकबा 1.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 512 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 513 रकबा 0.7700 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 2.2400 हैक्टयर भूमि स्थित है। सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारो के मध्य में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थना पत्र मे कारण अन्तिम बार दिनांक 20–06–2024 को तब उत्पन्न हुआ जब पडौसी आराजीयात के स्वामियों ने आपसी सहमति से सीमांकन करा पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण के खेतो की बाड कोट तोडने लगे। इसलिये मजबुर होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा विपक्षी की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित मौजा बरोडा पटवार हल्का बरोडा तहसील सलूम्बर की जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या 51 आराजी नम्बर 511, 512, 513 कुल किता 03 रकबा 2.2400 हैक्टयर भूमि का प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार होकर नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बरोडा पटवार हल्का बरोडा तहसील सलूम्बर की जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या 51 आराजी नम्बर 511, 512, 513 कुल किता 03 रकबा 2.2400 हैक्टयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री कल्लु व अन्य
विपक्षी सरकार
कस्म मुकदमा धारा– 128 भू–राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्या 60/2024

	कार्यवाही विवरण
	प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03–12–2024 को सरे ईजलास सुनाया गया। (पर्वत सिंह चूण्डावत RAS) उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर